

उद्धोषणा पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से मेरे आनलाइन आवेदन संख्या-407 के अनुक्रम में एतद्द्वारा मैं यह उद्धोषणा करती हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय से दूरस्थ माध्यम से एलएल०एम०कोर्स करने की अनुमति मिलने के उपरान्त परीक्षा में सम्मिलित होने के अतिरिक्त, एलएल०एम० अध्ययन हेतु दिन-प्रतिदिन की कक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराऊँगी।

(शिल्पी चौहान)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कन्नौज।